

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन

इन्दौर-452001

दिनांक 14 MAY 2019

क्रमांक:स्थापना/सं.पा.अवकाश/2018/604

// सूचना पत्र //

कार्य परिषद् कि बैठक दिनांक 08.01.2016 मे निर्णय लिया गया कि संतान पालन अवकाश के संबंध में म.प्र. शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.08.2015 क्रमांक-एफ-6-1/2015/नियम/चार को विश्वविद्यालय में भी अंगीकृत कर विश्वविद्यालय में लागू किया जाए ।

तदनुसार महिला कर्मचारी को संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जाता है। किन्तु प्रायः यह देखा गया है कि महिला कर्मचारी संतान पालन अवकाश आवेदन पत्र अवकाश पर जाने के एक दो दिन पहले प्रस्तुत कर अवकाश स्वीकृत होने के पहले ही अवकाश पर चले जाते है।

अतः संतान पालन अवकाश आवेदन पत्र 21 दिन पूर्व प्रस्तुत करने पर ही अवकाश स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

दिनांक 14 MAY 2019

क्रमांक:स्था./सं.पा.अवकाश/2018/604
प्रतिलिपि-

- 1-समस्त विभागाध्यक्ष,समस्त शैक्षणिक विभाग दे.अ.वि.वि,इन्दौर।
- 2-समस्त अधिकारीगण,समस्त उपविभाग, दे.अ.वि.वि इन्दौर।
- 3-वित्त नियंत्रक, दे.अ.वि.वि इन्दौर।
- 4-वेतन पत्रक शाखा, लेखा विभाग, दे.अ.वि.वि,
- 5-कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक ,दे.अ.वि.वि.,इन्दौर ।
- 6-बाह्य अंकेक्षण विभाग दे.अ.वि.वि.इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत ।

उप कुलसचिव (स्था)